कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–792 /FP/UK/ROAD/39053/2019 :देहरादूनः दिनांकः २८ सितम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत टनकपुर–तवाघाट से सिगंदा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.9115 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/02/2020 एच0सी0/1209 दिनांक 09.09.2020।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा की पत्र संख्या–851/12–1 (2) दिनांक 09.09.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

शर्त संख्या	भारत सरकार द्वारा मांगी गयी सूचना	प्रति उत्तर
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	शर्त संख्या 1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के अनुसार वन भूमि में विधिक परिस्थिति में बदलाव नही किया जायेगा। प्रमात्र पत्र संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या 2– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही प्रारम्भ किया जाएगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.823 हे0 अवनत वन भूमि कठौल क0सं0 3 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे। ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	शर्त संख्या 3– (क) वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण (क्षतिपूरक वृक्षारोपण) हेतु प्रेषित डिमान्ड नोट के अनुसार रु0 26,37,790.00 की धनराशि मुख्य अभियन्ता यू0आरआर0डी0ए0 के द्वारा दिनांक 20.01.2021 को वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। (ख) प्रगाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–2)
4	शुद्व वर्तमान मूल्य क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003,28.08.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (PT. 2) दिनांक 19.08.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.9115 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावेदन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल होगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई देय हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या 4– शुद्व वर्तमान मूल्य (क) वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि मानवीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण में एन0पी0वी0 (शुद्व वर्तमान मूल्य) की धनराशि रु0 33,05,218.00 मुख्य अभियन्ता यू0आरआर0डी0ए0 के द्वारा 20.01.2021 को वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (ख) विषेशज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार यदि मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दरों में बढ़ोत्तरी की जाती है। तो प्रयोक्त एजेन्सी यथासमय बढ़ोत्तरी की धनराशि को जमा करने के लिये बाध्य होगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–3)
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 593	शर्त संख्या 5– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा उपरोक्त पत्र के अनुसार प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में 593

	Tree including 500 Saplings वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वृक्ष आ रहे है, जिनका पातन किया जाना है। निर्माण का करने से पूर्व आवश्यक एवं अपरिहार्य वृक्षों का भी पातन जायेगा। वृक्षों का पातन की लागत प्रस्ताव विभाग द्वारा ज जायेगी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक– 4)
6	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त संख्या 6– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराख अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्मा में वृक्षों के छपान के पश्चात वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा किया जायेगा से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक– 5)
7	State Govt. may submit the inspection report of CA area done by concerned DFO clarifying whether the proposed CA area is suitable for raising CA. If this area is not found suitable then alternate area should be selected.	शर्त संख्या 7– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तरा ण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के अनुसार इस मार्ग में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन आरक्षित वन भूमि कठौल कम्पार्टमेन्ट न0 3 में प्रस्तावित किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक– 6)
8	State Govt. will submit the tree list in hard copy as uploaded online.	शर्त संख्या 8– प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्ष की सूची संलग्नक कर प्रेषित है। (संलग्नक– 7)
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित जमा किया जायेगा।	शर्त संख्या 9– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रेषित डिमान्ड नो के अनुसार एन0पी0वी0 (शुद्व वर्तमान मूल्य) का रु0 33,05,213.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 26,37,790.00 अर्थात कुल रू0 59,43,008.00 की धनराशि मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0ए0 के द्वारा दिनांक 20.01.2021 को वन विभाग के पक्ष में चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। (संलग्नक– 8)
10	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर को निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त संख्या 10– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। (संलग्नक– 9)
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगे।	शर्त संख्या 11– संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक– 10)
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या 12– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तरा ण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के अनुसार प्रस्तावित मार्ग के बना से पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त संख्या 13– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तरा ण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का ले आउट प्लान नहीं बदला जाएग , से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक– 11)
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 14– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तरा ण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के द्वारा श्रमिकों के रहने के लिए शिविर स्थापित नही किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक– 12)
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	शर्त संख्या 15– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के साथ प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण दौरान श्रमिकों को जंगल से लकड़ी न देकर ईधन की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी के समबन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक– 13)
16	सबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	शर्त संख्या 16– प्रस्तावक विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य को निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	शर्त संख्या 17– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वन क्षेत्र में कोई आन्तरिक मार्ग नहीं बनाया जायेगा से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक– 14)
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ , जो कम हो, लक्षित किया जायेगा।	शर्त संख्या 18– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अपने उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को प्रस्तावित मोटर मार्ग की भूमि की हमेशा

		के लिये आवश्यकता है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	शर्त संख्या 19–वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अपने उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में ली गई वन भूमि मोटर मार्ग के निर्माण में ही प्रयुक्त की जायेगी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक– 15)
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थित में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जायेगा।	शर्त संख्या 20– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग की भूमि किसी भी विभाग को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक– 16)
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशन फाइल संख्या 11–42 /2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या 21 – वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के अनुसार उक्त शर्तो में दिये गये दिशा निर्देशानुसार ही मोटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त संख्या 22 – वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार उक्त शर्तो में दिये गये दिशा निर्देशानुसार ही मोटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्ववर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौध लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दिचार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	शर्त संख्या 23 – वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार मलवे का निस्तारण चयनित स्थलों पर ही किया जायेगा तथा मलवे के निस्तारण के पश्चात वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त संख्या 24 –वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय एवं वन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही मोटरमार्ग का निर्माण किया जायेगा।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त संख्या 25 – वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि विशयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कश्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–792 / FP/UK/ROAD/39053/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा को पत्र संख्या–851/12–1 (2) दिनांक 09.09.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट (चम्पावत)।

20/9/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।